भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2038
18 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्तन कैंसर से जुड़े रसायन

2038. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक शोध अध्ययन पर सरकार के क्या विचार हैं, जिसमें कहा गया है कि खाद्य पैकेजिंग सामग्री और प्लास्टिक के बर्तनों में स्तन कैंसर से जुड़े लगभग 200 रसायन पाए जाते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं;

(ख) क्या भारत में खाद्य संपर्क सामग्री में कैंसरकारी पदार्थों को सीमित करने के लिए कोई नियम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार किस प्रकार विनियामक ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करने जा रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): ज्यूरिख, स्विटजरलैंड में स्थित फूड पैकेजिंग फोरम फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 909 संभावित स्तन कैंसरकारकों में से 189 (21%) खाद्य संपर्क सामग्री (एफसीएम) में मौजूद थे, जिनमें से 30 कृंतकप्राणी मॉडल में प्रत्यक्ष कैंसरजन्य साक्ष्य दिखाते थे और 67 जीनोटॉक्सिसिटी के कारण संदिग्ध थे। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि ये निष्कर्ष संभावित जोखिमों का संकेत देते हैं, सटीक तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए निहितार्थों को समझने के लिए आगे अनुसंधान आवश्यक है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार, पैकेजिंग, तैयारी, भंडारण, लपेटने, परिवहन और खाद्य पदार्थों की बिक्री या सेवा के लिए गुणवत्ता पैकेजिंग सामग्री के लिए सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ये विनियमन निर्दिष्ट करता है कि प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्री आईएस 9845 के अनुसार परीक्षण किए जाने पर बिना किसी दृश्यमान रंग अंतरण के 60mg/kg या 10mg/dm2 की निर्धारित समग्र अंतरण सीमा से अधिक नहीं होगी। कुछ पदार्थों जैसे बेरियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, लिथियम, मैंगनीज, जिंक, एंटीमनी और फथैलिक एसिड, बिस (2-एथिलहेक्सिल) एस्टर (डीईएचपी) के लिए विशिष्ट अंतरण सीमाएँ भी निर्दिष्ट की गई हैं।

******